# आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद संख्या –49 / 2020

लखिन्द्र ठाकुर

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

## आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

| *आदेश की क्रम–संख्या और तारीख* | **आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर** | *आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ* |
|---|---|---|
| 20.04.2023 | यह अपीलवाद जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के आदेश ज्ञापांक 238 दिनांक 06.02.2020 से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है।<br><br>वाद का सारांश यह है कि श्री लखिन्द्र ठाकुर, चौकीदार, वीट सं0–01 / 04 थाना+अंचल–मझौलिया के विरूद्ध थाना काण्ड सं0–320 / 2017 दिनांक 17.08.2017 धारा–376 / 354 बी0 / 34 भा0द0वि0 अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दिनांक 19.08.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उक्त के संबंध में अंचलाधिकारी, मझौलिया से प्राप्त सूचना के आलोक में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा अपीलकर्ता को गिरफ्तारी की तिथि 19.08.2017 के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबित किया गया। अपीलकर्ता के जेल से रिहा होने के बाद अंचल कार्यालय, मझौलिया में दिनांक 01.11.2017 को योगदान समर्पित किया गया। जिला पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 137 दिनांक 13.02.2018 से अपीलकर्ता के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया को संचालन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, मझौलिया को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया। संचालन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अपीलकर्ता से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा के जवाब पर विचारोपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त | |

WEB COPY NOT OFFICIAL

कर दिया गया।

प्रपत्र 'क' में गठित आरोप है कि **''मझौलिया थाना काण्ड सं0–320/2017 के अनुसंधान में धारा 376/354 बी0 भा0द0वि0 के तहत् काण्ड सत्य पाये जाने के कारण दिनांक 19.08.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाना। रात्रि गश्ती एवं पहरेदारी पदीय कर्तव्य पर रहते हुये भी अनैतिक गतिविधि में संलिप्त पाया जाना। संज्ञेय अपराध का अभियुक्त होना, उनके संदिग्ध आचरण एवं कर्तव्यहीनता का धोतक है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है।''**

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(i) अपीलकर्ता की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर चौकीदार के पद पर वर्ष 2002 में मझौलिया अंचल अंतर्गत हुई थी। अपीलकर्ता के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र 'क' त्रुटिपूर्ण है क्योंकि ''बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (3) एवं आरोप पत्र गठन नियमावली, 2017 के नियम 4 (2) के तहत प्रपत्र 'क' के साथ दस्तावेजों की सूची एवं साक्ष्यों की सूची संलग्न नहीं की गयी थी।

(ii) विभागीय कार्यवाही के आदेश फलक के अवलोकन से स्पष्ट है कि वह सही तरीके से मेन्टेन नहीं किया गया है और न ही उपस्थापन पदाधिकारी और अपीलकर्ता का सुनवाई के दिन आदेश फलक पर हस्ताक्षर लिया गया है।

(iii) अपीलकर्ता को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य देने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

(iv) संचालन पदाधिकारी द्वारा केस के जाँच पदाधिकारी से बिना मंतव्य प्राप्त किए जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया।

(v) अपीलकर्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोप का कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि CrPC के धारा 164 के अंतर्गत दर्ज बयान एवं मेडिकल रिपोर्ट में दूष्कर्म का सत्यापन नही है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

(vi) स्पष्टीकरण एवं द्वितीय कारण–पृच्छा के जवाब पर विचार किये बिना जिला पदाधिकारी द्वारा बर्खास्तगी का वृहत दण्ड दे दिया गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता एक चौकीदार है। चौकीदार का काम रात्रि गश्ती एवं पहरेदारी है परंतु उनके द्वारा ही दुष्कर्म जैसा घृणित कार्य किया गया है जिसके आधार पर अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल है एवं यह अपीलवाद खारिज होने योग्य है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान सरकारी अधिवकता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता के मझौलिया थाना काण्ड सं0–320/2017 दिनांक 17.08.2017 धारा 376/354 बी0/34 भा0द0वि0 में गिरफ्तार होने के कारण प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न करते हुए अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। अपीलकर्ता से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा के जवाब पर विचारोपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा मुखर आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि संचालन पदाधिकारी द्वारा काण्ड सं0–320/2017 के जाँच अधिकारी से बिना मंतव्य प्राप्त किये निर्णय ले लिया गया, के संबंध में कहना है कि संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा थानाध्यक्ष, मझौलिया से इस संबंध में मंतव्य की मांग की गयी थी। थानाध्यक्ष, मझौलिया थाना एवं उपस्थापन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य के आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

अपीलकर्ता के विरूद्ध महिला से दुष्कर्म करने का गंभीर आपराधिक आरोप है। चौकीदार रात्रि गश्ती एवं पहरेदारी का कार्य करता है, परंतु इनके द्वारा ही दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया गया है। श्री ठाकुर का यह कृत्य ***'नैतिक अधमता'*** की श्रेणी में आता है। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के कंडिका 3 (1)(iii) में अंकित है कि ***''हर सरकारी सेवक सदा ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो।''*** इस प्रकार अपीलकर्ता द्वारा उपर्युक्त नियम का उल्लंघन भी किया गया है। यदि ऐसे अशिष्ट कर्मी को कठोरतम दंड नहीं दिया जाता है तो प्रशासन में अनुशासन बनाये रखना कठिन हो जायेगा।

इस प्रकार इस संबंध मे अपीलकर्ता के विरूद्ध जिला पदाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय नियमानुकूल एवं उचित है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद को खारिज किया जाता है। आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाय एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

**लेखापित एवं संशोधित**

**आयुक्त** **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL